(प्रारूप ख)
(देखिए नियम 9 (3)(4)(6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

क्रमांक:राजस्व/रूपान्तरण/14/

दिनांक ....

संपरिवर्तन आदेश

श्री श्याम पाठशाला समिति भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के आवेदन पर उसकी खातेदारी अधिवृति में धारित भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	**श्री श्याम पाठशाला समिति भादरा** तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2	क्या आवेदक अनु.जाति/अनु.जन जाति का सदस्य है?	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा	रोही मौजा चक 10 बारानी के मु0 नं0 52 के किला नं0 10/1 की 0.190 है0 व किला नं0 11/1 की 0.060 कुल 0.250 है0 यानी 2500 वर्गमीटर
	संपरिवर्तन का प्रयोजन	**शैक्षिणिक**
5	संदाय की प्रीमियम दर	–
6	संदाय किये गये प्रीमियम की राशि चालान नम्बर व तारीख	कुल राशि–16665/– चालान न.–414दिनांक 08.10.14
7	यदि कोई शास्ति जमा कराई है तो उसकी चालान संख्या व तारीख	नहीं
8	यदि कोई ब्याज की राशि जमा कराई है तो चालान का न. व तारीख	नहीं
9	क्या आदेश अनियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया है?	नहीं
10	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो?	नहीं

लगातार....................

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा।

1	उपर्युक्त अकृषि संपरिवर्तन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2	आवेदक इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के अन्दर संपरिवर्तन के लिए भूमि का उपयोग करने मे विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहुत कर दी जाएगी, और आवेदक द्वारा जमा करवाया गया प्रीमियम धन समाहत हो जाएगा।
3	नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ नहीं किया जावेगा।
4	लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य कृषि अप्रयोजन के लिए विहित प्राधीकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा।
5	राष्ट्रीय सडक कॉग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सडक के मध्य से दूरी छोडकर निमार्ण किया जावें।
6	उपरोक्त सभी शर्तो की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उलंघन की दशा में नियमानुसार शासती आरोपित की जा सकेगी।
7	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।

-sd

उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) भादरा

क्रमांकः/सम/401

दिनांक 13/10/14

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ व पालनार्थः–

1 तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

2 संरपच ग्राम पंचायत रामगढ़िया

3 श्री श्याम पाठशाला समिति भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) भादरा

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : BHADRA

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 20-07-2022 6:56 PM

Fee Receipt No	: 202202418006770	Receipt Date	:	20/07/2022
Name	: SHRI SHYAM PATHSALA SAMITI BY VIJAY SHANKAR ,	Document S. No.	:	202201418006732
Address	: NA ,BHADRA ,BHADRA ,HANUMANGARH			
Document Type	: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 under 90A			
Face Value	: ₹ 1549926	Evaluated Value	:	₹ 7749632
Ord-Registration Fee	: ₹ 15500	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	: ₹ 27900	Stamp Duty	:	₹ 92996
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0
		Cash Amount Received	:	₹ 0
		Other than Cash	:	₹ 136696
		Total Amount	:	₹ 136696

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp [illegible] ₹ 26000 # Stamp A895302 ₹ 13000 # Stamp A053336 ₹ 26000 # e-Gras Challan 84764816 ₹ 71696

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

Cashier

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

TWENTY THOUSAND RUPEES

बीस हजार रुपये

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

A 053335

कार्यालय नगरपालिका, भादरा जिला हनुमानगढ

लीज डीड

श्री श्याम पाठशाला समिति भादरा जरिये श्री विजय शंकर पुत्र श्री शिव शंकर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा चक 10 बारानी के मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 11/1, 20/1, 21/1 भादरा में भूखण्ड साईज 123X437.8 = 53832.18 वर्गफुट शैक्षणिक कृषि भूमि रूपान्तरण शुल्क 750450रू. एवं लीज राशि 25015रू० वार्षिक एवं 10 वर्ष की अग्रिम एक मुश्त 250150रू० कुल योग 1025615रू० रसीद संख्या 293/09 दिनांक 17.07.2022 को नगरपालिका कोष में जमा हो चुकी है। पंजीयन के लिए कुल मालयति 1025615 रूपये पर मुद्रांक शुल्क 50000 रूपये के स्टाम्प नग 3 शामिल किए गए।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, भादरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

★T.B.★
राजस्थान सरकार
07 JUL 2022
उप कोषालय
भादरा

राजस्थान RAJASTHAN

A 053336

कुल योग

अनुज्ञा पत्र सं-10/09

राकेश कुमार

स्टाम्प तकमीलन शामिल है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, भादरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

★T.B.★ राजस्थान सरकार 04 JUL 2022

राजस्थान RAJASTHAN

उप कोषालय भादरा

अनुज्ञा पत्र सं.

A 995302

राकेश कुमार

स्टाम्प तकमीलन शामिल है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, भादरा

हस्ताक्षर/अं0 निशान आवंटित

गवाह :— (1) राकेश कुमार पुत्र मोहन लाल जाति ब्राहम्ण
निवासी शेरपुरा तहसील भादरा

गवाह :— (2) मांगीलाल पुत्र छोटुराम जाति ब्राहम्ण
निवासी वार्ड नं0 13 भादरा तहसील भादरा

उप–पंजीयक
भादरा

नगरपालिका भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

पट्टा–विलेख (लीज होल्ड)

संस्थागत

(स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

क्रमांक : 1244

दिनांक : 20/07/22

पट्टा धारक का नाम– **श्री श्याम पाठशाला समिति भादरा जरिये श्री विजय शंकर पुत्र श्री शिव शंकर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)**

भूखण्ड संख्या – साईज – **53832.18** वर्गफुट

योजना – चक 10 बारानी, मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 11/1, 20/1, 21/1 भादरा

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक : 18.07.2022 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, भादरा

अध्यक्ष
नगरपालिका, भादरा

नोटः शर्ते पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न हैं।
- **Registered and Endorsement Attached**

संस्थागत

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 पट्टे की शर्तें)

...क ने निहित नियमो के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है। अथवा ...क को प्रत्येक वर्ष लीज राशि .... प्रति वर्ष से आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष ...पश्चात और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम मे सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावें।

पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप–पट्टे (सब–लीज) पर भी दे सकेगा।

3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जावेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।

4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।

5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के तहत करना होगा।

6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू–उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकेगा।

7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।

8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरूद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा स्थानीय निकाय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

9. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है इनके सभी प्रावधान व शर्ते लागु होगी जिनकी पालना नही करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

10. अन्य ....

नोट – निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नही होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण :–

पूर्व – 437.8 फिट	पश्चिम – 437.8 फिट
उत्तर – 123 फिट	दक्षिण – 123 फिट

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. .... [signature]

अंगूठा निशान

2. ....

अंगूठा निशान

साक्षी :–

हस्ताक्षर :– [signature]

अंगूठा निशान

नाम :– [signature]

पता :–

साईट प्लान – शैक्षणिक उपयोग

योजना/गैर योजना राजस्व ग्राम/चक – 10 बारानी मु. 52

भूखण्ड संख्या– भूखण्ड का आकार – **53832.18** वर्गफुट

पट्टा धारक का नाम – श्री श्याम पाठशाला समिति भादरा जरिये श्री विजय शंकर पुत्र श्री शिव शंकर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

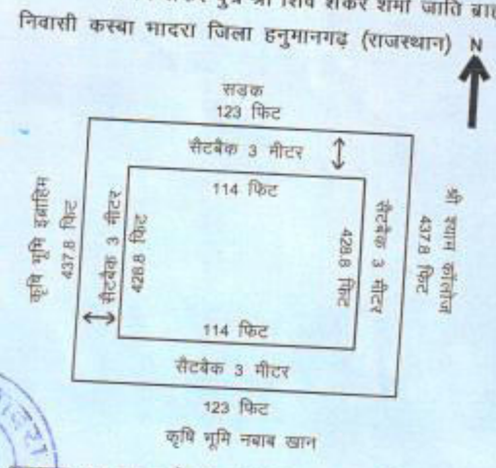

भूखण्ड का कुल क्षैत्रफल **53832.18** वर्गफिट

नोट – भूखण्ड पर भवन निर्माण, निर्धारित अवधि में प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप किया जावे।

• पंजीकृत/पृष्ठाकंन संलग्न हैं।

• **Registered and Endorsement Attached**

उप–पंजीयक भादरा

[signature]	[signature]	[signature]
कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका, भादरा	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, भादरा	**अध्यक्ष नगरपालिका, भादरा**

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : BHADRA

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-04-2024 5:55 PM

Fee Receipt No	: 202402418002825			
Name	: VIJAY SHANKAR JARIYE MANTRI SHRI SHYAM PATHSHALA SMITI BHADRA,	Receipt Date	:	02/04/2024
		Document S. No.	:	202401418002775
Address	: NA ,NA ,BHADRA ,HANUMANGARH			
Document Type	: The Lease deed issued/ executed by the State Govt./ ULB/ State Enterprises/ other Govt. Bodies, in respect of land allotted or sold by them or land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of RLRA 1956- The Lease deed issued/ executed through Allotment/ Sale/90-A Lease			
Face Value	: ₹ 482950	Evaluated Value	:	₹ 577251
Ord-Registration Fee	: ₹ 4830	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	: ₹ 8694	Stamp Duty	:	₹ 28977
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0
SiteInspection Fees	: 0	**Cash Amount Received**	:	₹ 0
		Other than Cash	:	₹ 42801
		Total Amount	:	₹ 42801

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp K635294 ₹ 1300 # Stamp 490776 ₹ 26000 # e-Gras Challan 87869177 ₹ 14201 # Stamp K635293 ₹ 1300

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक भद्रा हनुमानगढ़

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

490776

कार्यालय नगरपालिका, भादरा जिला हनुमानगढ़

लीज डीड

श्री श्याम पाठशाला समिति भादरा जरिये मंत्री श्री विजय शंकर पुत्र श्री शिव शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बां भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा चक 10 बारानी के मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 9, 12, 19 में भूखण्ड का साईज 18821.875 वर्गफुट का शैक्षणिक रूपान्तरण शुल्क 175000 रूपये एवं लीज राशि 17500 रूपये वार्षिक एवं 10 वर्ष की अग्रिम एक मुश्त 175000 रूपये कुल योग 367500 रूपये रसीद संख्या 444/61 दिनांक 14.02.2024 को नगरपालिका कोष में जमा हो चुकी हैं। पंजीयन के लिए कुल मालयति 367500 रूपये पर मुद्रांक शुल्क 22000 रूपये के स्टाम्प नग 03 शामिल किए गए।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, भादरा

उप पंजीयक भादरा
हनुमानगढ़

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

K 635293

स्टाम्प तकमीलन शामिल है।

राकेश कुमार

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भादरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

K 635294

स्टाम्प तकमीलन शामिल है।

श्री श्याम पाठशाला समिति भादरा
जरिये मंत्रीः–विजय शंकर (94146 35601)

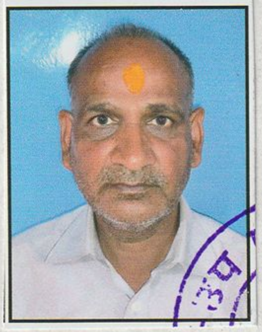

शिव शंकर

गवाहः–1–शिव शंकर पुत्र श्री धनराज जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं.15 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

दीपक कुमार

गवाहः–2–दीपक कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

नगरपालिका भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

पट्टा–विलेख (फ्री होल्ड)

शैक्षणिक उपयोग

(राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषि परियोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)
नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

दिनांक : 15/2/24

क्रमांक : 3912

पट्टा धारक का नाम– **श्री श्याम पाठशाला समिति भादरा जरिये मंत्री श्री विजय शंकर पुत्र श्री शिव शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बां भादरा तह. भादरा जिला हनुमानगढ़**

भूखण्ड संख्या – साईज – **18821.875** वर्गफुट

योजना – चक 10 बारानी के मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 9, 12, 19

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 15/2/24 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा विलेख की शर्ते (फ्री होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 2012 पट्टे की शर्ते)

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावें।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप–पट्टे (सब–लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू–उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. उक्त भूखण्ड के पहुंच मार्ग को मास्टर प्लान–2031 या स्वीकृत सड़क के अनुसार ही सड़क की चौड़ाई निर्धारित मानीजायेगी।
9. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात नियम विरूद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. अन्य...

फ्री होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्ते

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है। स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भादरा

उप पंजीयक
भादरा

अध्यक्ष
नगर पालिका, भादरा

- पंजीकृत/पृष्ठाकंन संलग्न हैं।
- **Registered and Endorsement Attached**

नगरपालिका भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

साईट प्लान – शैक्षणिक उपयोग

योजना/गैर योजना राजस्व ग्राम/चक – 10 बारानी के मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 9, 12, 19

भूखण्ड संख्या – भूखण्ड का आकार – **18821.875** वर्गफुट

पट्टा धारक का नाम – **श्री श्याम पाठशाला समिति भादरा जरिये मंत्री श्री विजय शंकर पुत्र श्री शिव शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बां भादरा तह. भादरा जिला हनुमानगढ़**

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण :–

पूर्व – ~~400.7~~ 391'9" फिट **पश्चिम – 400.7 फिट**

उत्तर – 47.5 फिट **दक्षिण – 47.5 फिट**

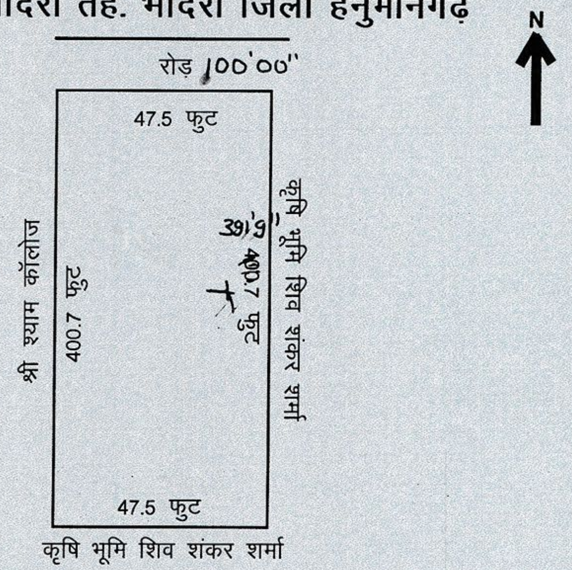

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

अंगूठा निशान

2. ....

अंगूठा निशान

साक्षी :–

हस्ताक्षर :–

अंगूठा निशान

नाम :–

पता :–

कनिष्ठ लेखाकार
नगर पालिका, भादरा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भादरा

अध्यक्ष
नगर पालिका, भादरा

उप पंजीयक भादरा हनुमानगढ़

भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल **18821.875** वर्गफुट

नोट – भूखण्ड पर भवन निर्माण, निर्धारित अवधि में प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप किया जावे।

- पंजीकृत/पृष्ठाकंन संलग्न हैं।
- **Registered and Endorsement Attached**

उप पंजीयक
भादरा